29/10/25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित है। प्रार्थी स्वयं अनुपस्थित है इनकी ओर से कोई अन्य वकील भी उपस्थित नहीं है। बार-बार आवाजें लगवाई गई परन्तु न्यायालय समय तक कोई भी उपस्थित नहीं है। अतः पत्रावली राजस्व वाद पत्र अदम हाजरी पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner